प्रशान्त कुमार,
आई०पी०एस०

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002

डीजी परिपत्र सं0 - 17 /2025

दिनांकः मई 23, 2025

विषयः परिवार न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं यथा गिरफ्तारी वारण्ट तथा वसूली वारण्ट आदि का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या-2292/S.F.C.M. Cell Lucknow दिनांकित 02.04.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय की समिति द्वारा "Sensitization of Family Court Matters" पर दिनांक 20.03.2025 को सम्पन्न बैठक में विचार के समय मा0 समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रकीर्ण वाद संख्या-319/2018 रीतू पाल बनाम मनोज कुमार में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, प्रयागराज द्वारा जारी अजमानतीय गिरफ्तारी वारण्ट तथा धारा-125 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत जारी वसूली वारण्ट का तामीला नहीं कराया गया। परिवार न्यायालय से सम्बन्धित समान प्रकृति के अन्य प्रकरण भी पूर्व से मा0 समिति के संज्ञान में होने के कारण मा0 समिति द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया—

> ".....During deliberations, it has been revealed that this is not a standalone problem in this particular case rather this problem is plaguing many cases across the State. The Committee has resolved that in order to find out a more lasting solution, it will be appropriate to invite the Director General of Police, the State of U.P., Lucknow for a meeting, wherein this issue shall be considered and his good office shall be utilized for ensuring that warrants Issued by the Courts across the State of U.P., are given precedence and they are executed with promptitude, it was also resolved that only after the aforesaid meeting with the Director General of Police is held, further action to be taken will be considered including requesting the Court to take up the matter on the judicial side."

2- मा0 उच्च न्यायालय की समिति द्वारा लिये गये इस निर्णय के अनुपालन से इस मुख्यालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.05.2025 को मा0 उच्च न्यायालय की समिति की बैठक में प्रतिभाग किया गया, जहाँ पर मा0 समिति द्वारा परिवार न्यायालयों द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट तथा वसूली वारण्ट का तामीला समय से न किये जाने से उत्पन्न हो रही समस्या से अवगत कराया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि स्थानीय पुलिस द्वारा परिवार न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के तामीला को प्राथमिकता न देने के कारण परिवार न्यायालय में कार्यबाधित होता है तथा पीड़िता महिलाओं को त्वरित न्याय प्रदान करने में कठिनाई हो रही है।

.....2

3- दं.प्र.सं. की धारा 125 के अन्तर्गत पत्नी को मा0 परिवार न्यायालय द्वारा निर्धारित जीवन निर्वाह धनराशि का भुगतान न करने की दशा में विपक्षी को गिरफ्तार करने हेतु गिरफ्तारी वारण्ट तथा जीवन निर्वाह धनराशि वसूल करने हेतु वसूली वारण्ट निर्गत करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। मा0 परिवार न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का निष्पादन स्थानीय पुलिस स्तर से किया जाता है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने कमिश्नरेट / जनपद में परिवार न्यायालय से प्राप्त होने वाले गिरफ्तारी वारण्ट तथा वसूली वारण्ट का निष्पादन नियमानुसार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराते हुये आख्या सम्बन्धित परिवार न्यायालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस मुख्यालय स्तर से सम्मन / वारण्ट आदि के तामीला के अनुश्रवण हेतु निर्गत डीजी परिपत्र संख्या 40/2023 दिनांक 10.10.2023 द्वारा नामित नोडल अधिकारी परिवार न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं का प्रभावी तामीला सुनिश्चित कराने हेतु भी नोडल अधिकारी होंगे।

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं समस्त कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त द्वारा परिवार न्यायालय से प्राप्त आदेशिकाओं के निष्पादन की स्थिति का नियमित अनुश्रवण किया जाये तथा शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

23.5.25

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

यह पत्र पूर्व में भी प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 14/5/2025 From IG PG भेजा गया है

127

HIGH COURT AT ALLAHABAD

Through special messenger/Emai

R.R. No. 208
Date 16.05.2025
Legal Cell DGPHQ, Lko.

Registrar (J) (Digitization)
High Court of Judicature at Allahabad
Lucknow

(12)

To

Joint Registrar (J)(Inspection)
High Court of Judicature at Allahabad
Allahabad

Letter No._____/S.F.C.M. Cell; Lucknow, Dated:_____

Subject:- **Regarding the compliance of Agenda Items 2 of Minutes of the Meeting dated 01.05.2025 by Hon'ble the Committee for 'Sensitization of Family Court Matters'**

Sir,

While enclosing the excerpt of Minutes of the Meeting dated 01.05.2025, I have been directe to inform you that Hon'ble the Committee for 'Sensitization of Family Court Matters' has bee pleased to resolve as under :-

"......He has also informed the Committee that there is a project relating to e-summons, which is going on in five districts and is to be made applicable in the entire State of U.P. in near future with regard to the District and Sessions Courts. However, he has informed this Committee that there is no specific direction for including Family Court also in such Project and he has suggested that it would be extremely helpful if the High Court issues a Circular regarding the e-Summons Project to also include service of summons/warrants etc issued by Family Courts in a similar fashion under the same project. Therefore, this Committee recommends the issuance of appropriate Circular in this regard by the High Court."

SP(L)

I.G. (P.G.)
D.G.P. HQ.
U.P. Lucknow
16/05/25

In reference of the above, I have been directed to communicate the aforesaid resolution to you goodself for kind perusal and compliance by all concerned.

Encl. As above

Yours faithfully,

Registrar (J) (Digitization)
"for Registrar General"

Letter No. 3393 /S.F.C.M. Cell; Lucknow, Dated: 14.05.2025

Copy forwarded for kind information and further necessary action to :

- **The Director General of Police, Uttar Pradesh**

SO X

Yours faithfully,
14.05.25

Registrar (J) (Digitization)
"for Registrar General"

पुलिस अधीक्षक (वि०प्र०)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक 16/05